<u>उत्तराखंड उच्च न्यायालय,</u>

<u>नैनीताल</u>

आदेश के वरुध अपील संख्या **419 /2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

प्रीतम संहबिष्ट और अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **420/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

सुरेंद्र दत्त और अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **421/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

पूरन संहबिष्ट और अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **422/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

रामदयाळ और अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **423/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

उमेद संहबिष्ट और अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **424 /2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

रमेश चंद्र और अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **425/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

राजपाल संहऔर अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **427/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

भगवान संहऔर अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **428/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

शव संहरावत और एक अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **429/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

मेहरबान संहऔर एक अन्य ... प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **432/ 2023**

भारत संघ ... अपीलकर्ता

बनाम

जितेंद्र संहऔर अन्य ...प्रत्यर्थी

और

आदेश के वरुध अपील संख्या **438/** संख्या

भारत संघ ...अपीलकर्ता

बनाम

सोमवारी लाल और अन्य ...प्रत्यर्थी

अ धवक्ता: श्री वी. के. कपरूवान, अ धवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से

श्री पी. एस. बिष्ट, वाद धारक राज्य की ओर से

श्री कार्तिक जयशंकर, अ धवक्ता, निजी प्रत्यर्थी की ओर से।

<u>माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.</u>

आदेशों के वरुद्ध 12 अपीलों का ये समूह, जैसा क मध्यस्थता और सुलह अ धनियम, 1996 की धारा 37 के तहत दा खल कया गया है, जो 18.07.2023 के आक्षे पत आदेश से उत्पन्न हुआ है, जैसा क संबं धत व वध मामलों में धारा 34 के के तहत कार्यवाही में पारित कया गया है। मध्यस्थता और सुलह अ धनियम, 1996, 1996, जिसके तहत कार्यवाही को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है क संबं धत मध्यस्थता मामलों में दिए गए दिनांक 29.08.2019 के ववादित फैसले को को देर से चुनौती दी गई है , जिसे कानून के तहत मध्यस्थता और सुलह अ धनियम, 1996 की धारा 34 की उपधारा (3) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार देर से चुनौती नहीं दिया जा सकता है। परिणामस्वरूप , संबं धत आक्षे पत आदेश 18.07.2023 को पारित कए गए हैं, जिनका ववरण अनुसूची में यहां दिया गया है -

Sl. No.	AO No.	Arbitration Case No.	Date of award	Miscellaneous Case No.	Date of impugned award
1	419/2023	121 of 2018	29.08.2019	15 of 2021	18.07.2023
2	420/2023	142 of 2018	29.08.2019	26 of 2021	18.07.2023
3	421/2023	43 of 2018	29.08.2019	118 of 2021	18.07.2023
4	422/2023	136 of 2018	29.08.2019	117 of 2021	18.07.2023
5	423/2023	42 of 2018	29.08.2019	20 of 2021	18.07.2023
6	424/2023	141 of 2018	29.08.2019	36 of 2021	18.07.2023
7	425/2023	120 of 2018	29.08.2019	22 of 2021	18.07.2023
8	427/2023	139 of 2018	29.08.2019	32 of 2021	18.07.2023
9	428/2023	28 of 2018	29.08.2019	39 of 2023	18.07.2023
10	429/2023	38 of 2018	29.08.2019	31 of 2021	18.07.2023
11	432/2023	41 of 2018	29.08.2019	18 of 2021	18.07.2023
12	438/2023	134 of 2018	29.08.2019	119 of 2021	18.07.2023

2. तथ्यात्मक रूप से, आदेशों से उपरोक्त अपीलें संबं धत मध्यस्थता मामलों से उत्पन्न होती हैं, जैसा क यहां ऊपर बताया गया है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा उस आदेश को चुनौती दी गई थी जो संबं धत व वधमामलों (ऊपर निर्दिष्ट) मे दिनांक 29.08.2019 को अ धनि मतहै। जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी की अदालत ने चुनौती के तहत आक्षे पत फैसले यानी 18.07.2023 द्वारा व वधमामलों को इस आधार पर खारिज कर दिया है क कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अ धनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के तहत निहित प्रावधानों द्वारा रोक दी गई थी। इस पर वचारनहीं कयाजा सकता चूँ कइसकी चुनौती के लएसीमा अव ध वस्तारयोग्य नहीं नहीं थी, मध्यस्थता और सुलह अ धनियमकी धारा 34 के तहत परिसीमन अ धनियम अ धनियमकार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

3. संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं क पार्टियों के बीच कुछ सं वदात्मक दायित्वों के अनुसरण में और पार्टियों के बीच उत्पन्न हुए ववाद के कारण , मामले को अनुबंध की शर्तों के अनुसार ववाद पर निर्णय लेने के लए मध्यस्थ के पास भेजा गया था, मध्यस्थ के माध्यम से ववाद को हल करने के लए और परिणामस्वरूप, परिणामस्वरूप, 29.08.2019 को एक अ धनिर्णय दिया गया गया था , जो आज

सूचीबद्ध सभी मामलों में लगभग समान है , जो यहां ऊपर सारणी में संद र्भत संबं धत व वध मामलों से उत्पन्न हुआ है।

4. उपरोक्त अ धनिर्णय के परिणामस्वरूप, उपरोक्त मामलों के माध्यम से द्वारा धारा 34 के तहत वद्वान जिला न्यायाधीश, उत्तरकाशी के समक्ष कारवाही की जिसे प्रतिवादित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया क अ धनिर्णय को वलंबित चरण में चुनौती दी गई है और मध्यस्थता और सुलह अ धनियम, 1996 की की धारा 34 की उप धारा (3) के अंतर्गत उसमें निर्धारित सीमा की अव धको बढ़ाया नहीं जा सकता है क्यों कपरसीमन अ धनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इस लए धारा 34 की कार्यवाही को तदनुसार खारिज कर दिया गया था, इस लए मध्यस्थता और सुलह अ धनियम की धारा 37 के तहत आदेश से तत्काल अपील, जो क्रमशः 2018 के 121,2018 के 142,2018 के 43,2018 के 136,2018 के 42,2018 के 141,2018 के 126,2018 के 139,2018 के 28,2018 के 38,2018 के 41 और 2018 के 134 में शा मलहै, जो आदेशों से प्रत्येक अपील में शा मलहैं, जो आज आज सुनवाई के लएसूचीबद्ध हैं।

5. एकमात्र प्रश्न, जैसा कपहले ही ठीक-ठीक ऊपर उल्लेख कया गया है, यह था क क्या न्यायालय, मध्यस्थता और सुलह अ धनियम की धारा 34 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे है, जहां मध्यस्थता और सुलह अ धनियम 1996 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, मध्यस्थ द्वारा दिए गए मध्यस्थ पंचाट को चुनौती दी जाती है, न्यायालय धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह प्रतिवादित आदेश को चुनौती देने के लएउसमें निर्धारित समय अव धबढ़ा सकता सकता है।

6. वधायिकाधारा 34 की उपधारा 3 के तहत अपने इरादे में बिल्कुल स्पष्ट है, इस प्रकार प्रावधान कयागया है:-

"34 माध्यस्तम् पंचाट को रद्द करने के लएआवेदन। —

(1) माध्यस्तम् पंचाट के वरुद्ध न्यायालय का सहारा केवल एक आवेदन उस अ धनिर्णयको उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार रद्द करने के लये लयाजा सकता है।

2.....

2-ए. .....

(3) रद्द करने के लए आवेदन उस ति थसे तीन महीने बीत जाने के पश्यात नहीं कया जा सकता है, जिस दिन वह आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्तम् पंचात प्राप्त हुआ था या, यदि कोई अनुरोध धारा 33 के तहत कया गया था, उस तारीख से जिस दिन उस अनुरोध का मध्यस्थ न्याया धकरण निपटारा कयागया था:

बशर्ते क यदि न्यायालय संतुष्ट है क आवेदक को तीन महीने की उक्त अव ध के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था तो वह तीस दिनों की अव ध के भीतर आवेदन पर वचार कर सकता है, ले कन उसके बाद नहीं।

(4) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर , न्यायालय, जहां यह उ चत हो और कसी पक्ष द्वारा ऐसा अनुरोध कया जाए , मध्यस्थता न्याया धकरण को मध्यस्थता कार्यवाही फर से शुरू करने का अवसर देने के लए अपने द्वारा निर्धारित समय की अव ध के लए कार्यवाही को स्थ गत कर कर सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो मध्यस्थता न्याया धकरण की राय में मध्यस्थता पंचाट को रद्द करने के आधारों को समाप्त कर देगा।

7. कानून के द्वारा बने प्रतिबंध के अनुसार कसी भी मध्यस्थता और सुलह अ धनियमकी धारा 34 से अदालतों के समक्ष चुनौती, इस निषेध के साथ, क वो धारा 34 की उपधारा (3) के परिनियमों के अधीन हो तभी दे सकते है, जिसमें प्रावधान है कअ धनिर्णयको निरस्त करने हेतु आवेदन सक्षम न्यायालय के समक्ष

3 महीने के भीतर दिया जा सकता है, ले कन उस तारीख को तीन महीने बीत जाने के बाद नहीं, जिस दिन आवेदन करने वाले पक्ष ने आवेदन कया है। धारा 34 के उपधारा (3) के परंतुक द्वारा अव धको आगे मात्र 30 दिनों के लएबढ़ाई जा सकती है उसके बाद नही जो की अ धनिर्णयको चुनौती देनें के लएऊपरी सीमा सीमा है, जिसे बढ़ाया नही ज सकता है , कानून द्वारा प्रदान की गई है।

8. धारा 34 की उपधारा (3) में निहित प्रावधान यह प्रदान करता है क यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कअपीलकर्ता को कसी वैध कारण से कम से कम पर्याप्त संतोषजनक कारणों से न्यायालय में आने से रोका गया था, तो निर्धारित समय के वस्तारके लएअतिरिक्त ऊपरी सीमा निर्धारित की जाएगी। धारा 34(3) के तहत प्रावधान केवल 30 दिनों की सीमा तक प्रदान कया गया है, उससे अ धक नहीं। जिस कारण चूँ कयह प्रावधान अपने आप में एक बाधा उत्पन्न करता है जैसा कप्रावधान कयागया है, आगे तीन महीने की अव धका वस्तारधारा 34 की उपधारा उपधारा (3) के प्रावधान के तहत, की अव ध, धारा 34 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अव धबढ़ाई जा सकती है केवल धारा 34(3) के प्रावधान के तहत तीस दिनों के लए, **"**ले कन उसके बाद नहीं**"**।

9. वधायिका, 'उसके बाद नहीं' शब्दों के प्रयोग से, यह स्वयं एक पूर्ण कटौती प्रदान प्रदान करती है, कउसे यह स्पष्ट कर दिया गया था कचाहे वह कसीभी कारण से हो, उसके पास पर्याप्त कारण हो, ले कन यदि परंतुक के तहत प्रदान की गई अव धसमाप्त हो गया है, 30 दिनों से अ धक आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है उसमें दिए गए प्रावधान और उक्त सद्धांतके अनुसार 30 दिनों से अ धकनही बढ़ाया जा सकता है जैसे की इसमें प्रावधान कया गया है और उक्त सद्धांत माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **2008 (7)** एससीसी **169,** कंसो लडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज बनाम प्रमुख स चव**,** संचाई वभाग एवं अन्य, मे कयेगये फैसले मे निर्धारित कया गया है। कंसो लडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज बनाम प्रमुख स चव, संचाई वभाग एवं अन्य, मे परिसीमा अ धनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे । प्रासं गकपैरा 43, 44 और 57 यहां दिए गए हैं: -

"43. जहां परिसीमा अ धनियम की अनुसूची कसी न्यायालय में अपील या आवेदनों के लए सीमा की अव ध निर्धारित करती है , और वशेष या स्थानीय कानून अदालत में अपील और आवेदन दायर करने का प्रावधान करता है , ले कन ऐसी अपील या आवेदनों के संबंध में सीमा की कोई अव ध निर्धारित नहीं करता है, परिसीमा अ धनियम की अनुसूची में निर्धारित सीमा की अव ध ऐसी अपील या या आवेदनों पर लागू होगी और परिणामस्वरूप , धारा 4 से 24 के प्रावधान भी लागू होंगे। जहां वशेष या स्थानीय कानून कसी भी अपील या आवेदन के लए निर्धारित करता है , परिसीमा अ धनियम की अनुसूची द्वारा निर्धारित अव ध से अलग सीमा की अव ध, तो धारा 29 (2) के प्रावधानों को आक र्षत कया जाएगा। जाएगा। उस स्थिति में , परिसीमा अ धनियम की धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे , जैसे क वशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अव धपरिसीमा अ धनियम की की अनुसूची द्वारा निर्धारित अव ध थी और वशेष कानून द्वारा अपील या के लए निर्धारित सीमा की कसी भी अव ध को निर्धारित करने के उद्देश्य से , धारा 4 से 24 में निहित प्रावधान उस सीमा तक लागू होंगे जिस तक वे ऐसी वशेष कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत नहीं हैं।धारा 29 (2) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है क परिसीमा अ धनियम की धारा 4 से 24 में निहित सद्धांत वशेष या स्थानीय कानूनों के तहत अदालत में दायर कए गए मुकदमों , अपीलों और आवेदनों पर भी लागू होते हैं , भले ही यह परिसीमा अ धनियम में निर्धारित सीमा से अलग सीमा की अव ध निर्धारित करता हो , सवाय उन प्रावधानों में से कसी एक या सभी के आवेदन के स्पष्ट बहिष्कार की सीमा के।

44. इस समय यह ध्यान दिया जा सकता है क परिसीमा अ धनियम की अनुसूची अनुसूची केवल अदालतों में कार्यवाही के लए सीमा की अव ध निर्धारित करती है है न क कसी न्याया धकरण या अर्ध -न्यायिक प्रा धकरण के समक्ष कसी भी कार्यवाही के लए। परिणामस्वरूप, परिसीमा अ धनियम की धारा 3 और 29 (2) न्याया धकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब है क

परिसीमा अ धनियम न्याया धकरणों के समक्ष अपील या आवेदनों पर लागू नहीं होगा, जब तक क स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं कया गया हो।

57. पॉपुलर कंस्ट्रक्शन [(2001) 8 एस. सी. सी. 470] में निर्णय भी कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। उस निर्णय से यह स्पष्ट होता है क ए. सी. अ धनियम, 1996 एक वशेष कानून होने के नाते , और इसकी धारा 34 परिसीमा अ धनियम के तहत निर्धारित सीमा की अव ध से अलग सीमा की अव ध निर्धारित करती है और उस उस अव ध के लए एक सीमा प्रदान करती है जिसके द्वारा सीमा की अव ध बढ़ाई बढ़ाई जा सकती है, परिसीमा अ धनियम में संबं धत प्रावधान एकपंचाट [परिसीमा [परिसीमा अ धनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 119 (बी)] को अलग करने और पर्याप्त कारण के लए सीमा की अव ध बढ़ाने के लए आवेदन दायर करने के लए लए सीमा की अव ध निर्धारित करते हैं (परिसीमा अ धनियम की धारा 5), लागू नहीं थे। यह परिसीमा अ धनियम की धारा 14 (2) की प्रयोज्यता से संबं धत नहीं नहीं था। न ही इस न्यायालय ने धारा 14 (2) की प्रयोज्यता पर वचार कया। इस लए पॉपुलर कंस्ट्रक्शन [(2001) 8 एस. सी. सी. 470] में निर्णय लागू नहीं होगा। फेयरग्रोथ [(2004) 11 एस. सी. सी. 472] केवल परिसीमा अ धनियम की धारा 5 के अपवर्जन के संबंध में पॉपुलर कंस्ट्रक्शन [(2001) 8 एस. सी. सी. 470] के सद्धांत को दोहराता है , जैसा क निम्न ल खत टिप्प णयों से स्पष्ट हैः (एस. सी. सी. पी. 482, पैरा 17)

" 17 . ... जहां तक वशेषऔर स्थानीय अ धनियमोंका संबंध है, सामान्य नियम यह है क सीमा अ धनियमकी धारा 5 सहित निर्दिष्ट प्रावधान लागू होंगे बशर्ते क वशेषया स्थानीय अ धनियमसीमा अव धप्रदान करता हो परिसीमा अ धनियमके तहत निर्धारित निर्धारित समय से भन्न।वहाँ एक अतिरिक्त आवश्यकता यानी क वशेषस्थानीय अ धनियम परिसीमा अ धनियमके अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं करता है।"

इस लए यह मानना होगा क परिसीमा अ धनियम, 1963 की धारा 14(2) है जिसमे कार्यवाही धारा 34(1) के तहत लागू होगी ।"

10. इसी तरह का वचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर लया गया है जैसे क 2022 (4) एस. सी. सी. 162, महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा फाइनें शयल स र्वसेज ल मटेड बनाम महेशभाई टीनाभाई राठौड़ में बताया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पैरा 9 में, वशेष रूप से पैरा पैरा 9.1,9.2 और 9.3 में दी गई व्याख्या के अनुसार, जो 2001 (8) एस. सी. सी. 470, भारत संघ बनाम लोक प्रय निर्माण कंपनी में रिपोर्ट कए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों पर आधारित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कया है क चूं क सीमा की अव ध और न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की सीमा उस अव ध से आगे नहीं की जा सकती है क्यों क यह मध्यस्थता और सुलह अ धनियम की धारा 34 की उप धारा (3) के प्रावधान के तहत निर्धारित कया गया है। प्रासं गक पैरा संख्या 9. 1 से 9.3 यहाँ नीचे निकाले निकाले गए हैं :-

"9.1. इसके अलावा, एच.पी. राज्य बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स [राज्य एच. पी. बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स (2010) 12 एस. सी. सी. 210:2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 605] इसे नोट कया गया और निम्नानुसार रखा गया: (एस. सी. सी. पीपी. 211-12, पैरा 2 और 5)

"2. मध्यस्थता और सुलह अ धनियम, 1996 (संक्षेप में "अ धनियम") की धारा 34 के तहत एक या चका अपीलार्थी द्वारा 11-3-2008 पर दायर की गई थी , जिसमें मध्यस्थता पंचाट को चुनौती दी गई थी। या चका के साथ अ धनियम की की धारा 34 की उप-धारा (3) के तहत या चका दायर करने में 28 दिनों की देरी को माफ करने के लए एक आवेदन भी था। प्रत्यर्थी ने यह तर्क देते हुए आवेदन आवेदन का वरोध कया क धारा 34 के तहत या चका 3 महीने और 30 दिनों की की अव ध से आगे दायर की गई थी और इस लए खारिज होने योग्य थी।

***

5. अ धनियम की धारा 34 (3) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, परिसीमा अ धनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधान अ धनियम की धारा 34 के तहत या चकाओंके संबंध में लागू नहीं होंगे। जब कपरिसीमा अ धनियमकी धारा 5 वलम्ब वलम्बकी अव ध के संबंध में कोई बाहरी सीमा नहीं रखती है जिसे माफ कयाजा सकता है, अ धनियमकी धारा 34 की उप-धारा (3) के परंतुक में 'तीस दिनों की अग्रेतर की अव ध के भीतर आवेदन पर वचारकर सकता है,ले कन उसके बाद नहीं' शब्दों का उपयोग करके क्षमा योग्य वलम्बकी अव ध पर एक सीमा रखी गई है। इस लए यदि कोई या चकातीन महीने की निर्धारित अव ध के बाद दायर की जाती है, है, तो अदालत को मात्र तीस दिनों सीमा की सीमा तक वलम्ब क्षमा करने का ववेका धकारहै, बशर्ते क पर्याप्त कारण दिखाया गया हो।जहां एक या चका तीन महीने और तीस दिनों के बाद अ धक समय में दायर की जाती है, भले ही पर्याप्त कारण बना दिया गया हो, वलम्बको माफ नहीं कयाजा सकता है।"

9.2. यही दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा पी. राधा बाई बनाम पी. अशोक कुमार राधा बाई बनाम पी. अशोक कुमार, (2019) 13 एस. सी. सी. 445 में लयागया थाः(2018) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 773] जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अ भनिर्धारित कया(एस. सी. सी. पीपी. 457-58, पैरा 33)

"33.2. धारा 34 (3) का परंतुक एक अदालत को तीन महीने की अव ध समाप्त होने के बाद एक पंचाट को चुनौती देने के लए एक आवेदन पर वचार करने में सक्षम बनाता है, ले कन केवल तीस ति थयों की अतिरिक्त अव ध के भीतर"ले कन "ले कन उसके बाद नहीं।" "ले कन उसके बाद नहीं" वाक्यांश के उपयोग से पता चलता है क 120 दिनों की अव ध एक पुरस्कार को चुनौती देने के लए बाहरी सीमा है। यदि धारा 17 लागू की जानी थी, कसी फैसले को चुनौती देने के लए सीमा 120 दिनों के बाद अ धकहो सकती है। वाक्यांश "ले कन उसके बाद नहीं" को अनावश्यक और निरर्थक बना दिया जाएगा। इस न्यायालय ने लगातार यह वचार रखा है क मध्यस्थता अ धनियमकी धारा 34 (3) के प्रावधान में "ले कन उसके बाद नहीं" शब्द अनिवार्य प्रकृति के हैं, और नकारात्मक शब्दों में जोड़े गए हैं, जो

संदेह के लए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं।[हि.प्र. राज्य. बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स [हि.प्र. राज्य. बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स, (2010) 12 एससीसी 210: (2010) 4 एससीसी (सव) 605], असम शहरी जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम सुभाष परियोजनाएँ एवं वपणन ल मटेड[असम शहरी जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम सुभाष प्रोजेक्ट्स एवं वपणन ल मटेड (2012) 2 एससीसी 624: (2012) 1 एससीसी (सवी) 831] और अनिलकुमार जीनाभाई पटेल बनाम प्रवीणचंद्र जिनाभाई पटेल [अनिलकुमार जिनाभाई पटेल बनाम प्रवीणचंद्र जिनाभाई पटेल, (2018) 15 एससीसी 178: (2019) 1 एससीसी (सीआईवी) 141]] "

9.3. 1996 के अ धनियम की धारा 34 (3) के तहत निर्धारित देरी को माफ करने और सीमा को बढ़ाने में सीमा अ धनियम की धारा5 की गैर-प्रयोज्यता से संबं धत संबं धत व भन्न निर्णयों में इस न्यायालय की टिप्प णयों पर इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने चन्टेल्स (इं डया) ल मटेड बनाम भयाना बिल्डर्स (पी) ल मटेड[चन्टेल्स (इं डया) ल मटेड बनाम भयाना बिल्डर्स(पी) ल मटेड ल मटेड(2021) 4 एससीसी 602] में अनुमोदन के साथ ध्यान दिया।

11. संक्षेप में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनें शयल स र्वसेज स र्वसेज ल मटेड (उपरोक्त) के मामलों में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था क चूं क मध्यस्थता और सुलह अ धनियम की धारा 34 की उप धारा (3) के परंतुक का प्रतिबंध स्वयं पंचाट को चुनौती देने के लए सीमा की एक ऊपरी अव ध निर्धारित निर्धारित करता है जो एक स्व -निहित प्रावधान है और निरपेक्ष है , इस लए उसने व शष्ट कटौती प्रदान की है जिसका वस्तार नहीं कया जा सकता और परिसीमा परिसीमा अ धनियम के प्रावधानों को लागू नहीं कया गया है , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान कया है क मध्यस्थता और सुलह अ धनियम की धारा34 34 की उप धारा (3) के प्रावधान के तहत 1996 के अ धनियम के तहत निहित प्रावधानों के तहत दिए गए पंचाट को चुनौती देने के लए दी गई अव ध को सीमा सीमा अ धनियम को आक र्षत करके उसमें निर्धारित अव ध से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसे इसकी प्रयोज्यता से बाहर रखा गया है।

12. 2010 (12) एस. सी. सी. 210, हिमाचल प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स और अन्य, जो लगभग इसी तरह की स्थिति से निपट रहे थे , में दिए गए एक अन्य फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक समान दृष्टिकोण अपनाया गया है और वशेषरूप से, उक्त निर्णय के पैरा 5 की गई टिप्प णयोंके अनुसार, इसने निष्कर्ष निकाला है क अंततः अ धनियम के तहत निहित प्रावधानों के संबंध में , क्यों क सीमा अ धनियम की धारा 5 के प्रावधानों को 1996 के वशेष अ धनियम के तहत निहित प्रावधानों पर लागू नहीं कया गया है और वशेषरूप से, जब इसे मध्यस्थता और सुलह अ धनियमकी धारा धारा 34 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में पढ़ा जाता है, परिसीमा की अव धको मध्यस्थता और सुलह अ धनियमकी धारा 34(3) के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई अव धसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उक्त निर्णय के पैरा 5 और 6 यहां दिए गए हैं: -

"5. अ धनियमकी धारा 34(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, परिसीमा अ धनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधान अ धनियम की धारा 34 के तहत या चकाओंके संबंध में लागू नहीं होंगे। जब कपरिसीमा अ धनियमकी धारा 5 माफ़ माफ़ की जा सकने वाली देरी की अव धके संबंध में कोई बाहरी सीमा नहीं रखती है, अ धनियमकी धारा 34 की उप-धारा (3) का प्रावधान माफ़ करने योग्य देरी की अव ध पर एक सीमा लगाता है। "शब्दों का उपयोग करने पर तीस दिनों की अतिरिक्त अव धके भीतर आवेदन पर वचार कयाजा सकता है, ले कनउसके बाद नहीं।" इस लए यदि कोई या चकातीन महीने की निर्धारित अव धके बाद दायर की जाती है, तो अदालत को मात्र तीस दिनों सीमा तक वलम्ब क्षमा करने का ववेका धकारहै, बशर्ते कपर्याप्त कारण दिखाया गया हो। जहां एक या चकातीन महीने और तीस दिनों के बाद अ धकसमय में दायर की जाती है, भले ही पर्याप्त कारण बना दिया गया हो, वलम्बको माफ नहीं कयाजा सकता है।

6. यह हमें इस प्रश्न की ओर ले जाता है कक्या या चकातीन महीने और तीस दिनों के बाद दायर की गई थी। इस बात पर कोई ववादनहीं है कयदि या चकातीन महीने

महीने और तीस दिनों की अव धके भीतर दायर की गई थी, तो वलम्बको माफ कर कर दिया जाना चाहिए क्यों क अपीलकर्ता द्वारा वलम्ब को माफ करने के लए पर्याप्त कारण दिखाया गया था। ले कनउच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के इस तर्क को स्वीकार कर लया है क तीन महीने और तीस दिनों की अव ध 10-3-2008 पर समाप्त हो गई थी और इस लए 11-3-2008 पर दायर या चका पर रोक लगा दी गई थी। इस लए हमारे वचारके लएनिम्न ल खतप्रश्न उत्पन्न होते है:

((i) परिसीमा शुरू होने की ति थक्या है?

(ii) क्या तीन महीने की अव धको 90 दिनों के रूप में गनाजा सकता है?

(iii) क्या मात्र तीन महीने और अट्ठाईस दिन की अव ध समाप्त हो गई थी जब या चकादायर की गई थी, जैसा कअपीलकर्ता ने तर्क दिया था, या क्या या चकातीन तीन महीने और तीस दिनों के बाद अ धकदायर की गई थी, जैसा क प्रत्यर्थी ने तर्क दिया था?"

13. एक अन्य निर्णय में, जैसा क 2021 (4) एस. सी. सी. 602 में बताया गया है, चंटेल्स (इं डया) ल मटेड। बनाम भयान बिल्डर्स (पी) ल मटेड़ माननीय सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय लगभग वलंब को माफ करने की क्षमता और कार्यवाही को खारिज करने और निर्धारित अव ध से आगे इसकी रखरखाव और मध्यस्थता और और सुलह अ धनियम की धारा 37 के तहत उपचार का अंतिम लाभ उठाने के संबंध में सद्धांतों और अ धकतम के संबंध में मामले पर वचार कर रहा था।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में, हालां क व भन्नस्थानों पर मध्यस्थता और सुलह अ धनियमकी धारा 34 के वधायीइरादे और उसमें प्रदान की गई निर्धारित अव धके बाद पंचाट को चुनौती देने के लएउसमें निर्धारित सीमाओं के के संबंध में वचार कयाहै, ले कनअंततः उक्त निर्णय के पैरा 11 में निष्कर्ष निकाला निकाला गया है, जिसमें यह निर्धारित कया गया है क एक बार जब अ धनियम ने मध्यस्थता और सुलह अ धनियमकी धारा 34 की उप धारा 3 के प्रावधान के तहत

ऊपरी सीमा निर्धारित कर दी है, तो उसे उसमें निर्धारित अव ध से आगे नहीं बढ़ाया बढ़ाया जा सकता है। उक्त निर्णय का पैरा 11 नीचे दिया गया हैः-

"11. धारा 34 (1) को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा क कसी फैसले को रद्द करने के लए कया गया आवेदन उप-धारा (2) और (3) दोनों के अनुसार होना चाहिए। इसका अर्थ यह होगा कऐसा आवेदन न मात्र उप-धारा (3) द्वारा निर्धारित सीमा अव धके भीतर होना चाहिए, बल्कि ऐसे फैसले को रद्द करने के लएउप-धारा धारा (2) और/या (2-ए) के तहत आधार निर्धारित करना होगा। इससे जो पता चलता है वह यह है क आवेदन स्वयं समय के भीतर होना चाहिए , और यदि तीन महीने की अव ध के भीतर नहीं है, तो देरी की माफी के लए एक आवेदन के साथ होना चाहिए , बशर्ते क यह 30 दिनों की और अव ध के भीतर हो , इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है क सीमा अ धनियम1963 की धारा 5 लागू लागू नहीं होती है और 120 दिनों से अ धक की कसी भी देरी को माफ नहीं कया जा सकता है-एच. पी. बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स राज्य [एच. पी. बनाम हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स राज्य, (2010) 12 एस. सी. सी. 210: (2010) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 605] पैरा 5 पर।

15. इसके अलावा, इस न्यायालय का वचार है कयदि 1996 के मध्यस्थता और सुलह अ धनियम के प्रावधान को ध्यान में रखा जाता है, तो व भन्नअंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार, जिसमें मध्यस्थता के क्षेत्र से संबं धत कानून बनाने की आवश्यकता थी, इसका उद्देश्य पक्षों के बीच ववादों का शीघ्र निपटान प्रदान करना था, जो एक सं वदात्मक दायित्वों से उत्पन्न हो रहे थे। इसका उद्देश्य पक्षों के बीच लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी को समाप्त करना था और इस लए धारा 34 के तहत प्रावधानों को व शष्ट वधायी इरादे के साथ शा मल कया गया था ता क लंबे समय तक चलने वाली कार्यवाही को कम कया जा सके और मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लया जा सके और इसी इरादे से मध्यस्थता और सुलह अ धनियम की धारा 34 की उप धारा (3) के प्रावधान को 1996 के अ धनियम के तहत शा मल कया गया था।

16. चूं क 1996 का मध्यस्थता और सुलह अ धनियम एक स्वयं निहित वशेष अ धनियम है, इसने परिसीमा अ धनियम के अंतर्गत निहित प्रावधानों को आक र्षत नहीं कया है, सीमा की अव धके तहत फैसले को मध्यस्थता और सुलह अ धनियम की धारा 34 की उप धारा (3) के नियम को चुनौती देने के लए निर्धारित कया गया है, जिसे निर्णय के प्रकाश में नहीं बढ़ाया जा सकता जैसा कऊपर बताया गया है, आक्षे पतकार्यवाही को ख़ारिज करने की चुनौती के तहत निर्णय सीमा से वर्जित होने के बाद से नियम के अंतर्गत निर्धारित अव धसे अ धकको प्राथ मकतादी जाएगी जाएगी मध्यस्थता और सुलह अ धनिय की धारा 34 की उपधारा (3) के तहत पक्षों के वद्वानवकील को सुनने और दिनांक 18.07.2023 के आक्षे पतनिर्णय के अ भलेखोंका अध्ययन करने के बाद यह कसीभी स्पष्ट न्यायिक त्रुटि से ग्रस्त नहीं है, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अ धनियमकी धारा 37 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लए लए कसीभी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है है ।

17. इस प्रकार, आदेशों के वरुद्ध अपीलों में योग्यता की कमी है; तदनुसार, उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा**,** न्यायमूर्ति**)**

28.11.2023
महिंदर /